दिनांक 15.05.2024
प्रेस विज्ञप्ति 15/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बुलन्दशहर/थाना अगौता

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 15.05.2024 को थाना अगौता पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बागवाला चौराहा पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में इस्माईल घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना अगौता पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना अगौता पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—इस्माईल निवासी ग्राम निडोरी थाना मसूरी, गाजियाबाद।

बरामदगी

1—01 मोटर साइकिल।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद बागपत/थाना बडौत

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के सोने के आभूषण, 03 हजार रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल (फर्जी नम्बर प्लेट) बरामद**

दिनांक 14.05.2024 को थाना बडौत पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सराय रोड के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग में एक उ0नि0 घायल हो गये, पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–रिहान 2–जाकिर घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के सोने के आभूषण, 03 हजार रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल (फर्जी नम्बर प्लेट) बरामद हुई। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 09.05.2024 को थाना बडौत क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि लूट की घटनाओं से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त रिहान के विरूद्ध जनपद बागपत, कमिश्नरेट गाजियाबाद व दिल्ली के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 80 अभियोग एवं अभियुक्त जाकिर के विरूद्ध जनपद बागपत, कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, गैंगेस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 19 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—रिहान निवासी न्यू ओखला जाकिर नगर गली नं0—21 दिल्ली।

2—जाकिर निवासी न्यू सीमापुरी डी 11 नियर बारात घर पूर्वी दिल्ली।

<u>बरामदगी</u>

1—लूट के सोने के आभूषण, 03 हजार रूपये नगद।

2—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3—घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल (फर्जी नम्बर प्लेट)।

<u>ए0एन0टी0एफ0 यूनिट वाराणसी/कमिश्नरेट वाराणसी</u>

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत)के 216 ग्राम अवैध हेरोइन आदि बरामद**

दिनॉकः 14.05.2024 को ए0एन0टी0एफ0 यूनिट वाराणसी व ए0एन0टी0एफ0 थाना गाजीपुर की संयुक्त टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम कैथी थाना चौबेपुर, कमिश्नरेट वाराणसी से अभियुक्त राहुल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत)के 216 ग्राम अवैध हेरोइन, नगद रूपये आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना चौबेपुर, कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—राहुल निवासी ग्राम कैथी थाना चौबेपुर, कमिश्नरेट वाराणसी।

<u>बरामदगी</u>

1—लगभग 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत)के 216 ग्राम अवैध हेरोइन आदि।

जनपद सहारनपुर/थाना नानौता

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 किलो 356 ग्राम अवैध चरस बरामद**

दिनांक 14.05.2024 को थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम भोजपुर नहर के पास से अभियुक्त रहमान उर्फ भूरा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 02 किलो 356 ग्राम अवैध चरस बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना नानौता पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रहमान उर्फ भूरा निवासी बन्दुकची थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1—02 किलो 356 ग्राम अवैध चरस।

- **जनपद ललितपुर/थाना कोतवाली ललितपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 25—25 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद ललितपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद ललितपुर द्वारा थाना कोतवाली ललितपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/120बी भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1—दिलीप 2—मेघराज 3—पीयूष को आजीवन कारावास व 25—25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बुलन्दशहर/थाना पहासू (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख 40 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना पहासू पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376क,ख/302/201/364 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त सौरभ को आजीवन कारावास व 01 लाख 40 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद महराजगंज/थाना कोतवाली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 55 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद महराजगंज पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद महराजगंज द्वारा थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त मोहन को आजीवन कारावास व 55 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद जालौन/थाना डकोर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 45 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद जालौन पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जालौन द्वारा थाना डकोर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/376 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त हरिश्चन्द्र को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 45 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद जालौन/थाना कोतवाली उरई (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को 20/07-07 वर्ष के सश्रम/कठोर कारावास की सजा व अर्थदण्ड)**

जनपद जालौन पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जालौन द्वारा थाना कोतवाली उरई पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त प्रदीप को धारा 363/366/376 भादवि के अन्तर्गत 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 45 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त 2-विनीत 3-संदीप को धारा 363 भादवि के अन्तर्गत 07-07 वर्ष के कठोर कारावास व 10-10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद अलीगढ़/थाना दादों (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 02 लाख रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अलीगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अलीगढ़ द्वारा थाना दादों पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त पप्पू को 10 वर्ष के कारावास व 02 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———